1 लगायत
अनुपालित
एकपक्षीय
19/3 ... विरुद्ध
... एक ... लायी गयी
कार्यवाही अमल में
पत्रावली वास्ते ~~साक्ष्य~~ पत्रावली
आगामी दिनांक 13/5/26 को पेश हो।

13-5-26 पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित
बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई वास्ते
आदेश पत्रावली दिनांक 4-6-26 को
पेश हो।

निर्णय

4-6-26 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित
संक्षेप में निर्णय इस प्रकार है कि
प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
212 आर-डी-एक्ट में पेश कर अप्रार्थीगण
को का अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द
किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण स-57/प्रपत्र/23

तारीख हुक्म	फुलनबाई वगैरह बनाम घनश्याम वगैरह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण को ता फैसला मूलवाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। हमारे द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। केस प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है यदि दौराने वाद अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण पैतृक कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द कर सकते हैं ऐसी सम्भावना को मद्देनजर रखते हुए ~~प्रार्थी~~ अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं अतः विवादित आराजी ख.न. 1032 रकबा 0.99 हैक्टर ख.न. 1040 रकबा 1.55 हैक्टर ख.न 464 रकबा 0.08 हैक्टर ख.न. 473 रकबा 0.02 हैक्टर ख.न. 474 रकबा 0.07 है. ख.न. 762 रकबा 1.35 हैक्टर कुल खसरा किता-6 योग रकबा 4.06 हैक्टर वाके ग्राम मोतड़ा तहसील इन्द्रगढ़ स्थित कृषि भूमि की ता फैसला मूलवाद मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि वह मौके व राजस्व रिकार्ड की ता फैसला मूलवाद यथास्थिति बनाये रखे। उपरोक्त विवादित आराजी का रहन बेचान नहीं करे। एवं राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बूंदी)	